

वैश्विक स्तर पर बाल श्रमिकों की प्रमुख समस्याएँ एवं निदान के उपाय

सारांश

बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। यह समस्या हर युग में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। भारत में प्राचीन काल से ही बाल एवं बालिकायें कृषि एवं पारम्परिक व्यवसायों में पूर्ण रूप से सहायता करते थे परंतु विश्व के औद्योगिक विकास के साथ-साथ बालश्रम के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होता रहा। भारतीय उपमहाद्वीप में 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण के मध्य बालश्रम के विस्तृत एवं विभिन्न स्वरूपों का विस्तार हुआ। विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से 50 प्रतिशत से अधिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका में हैं। विकासशील देशों में हजारों बच्चे छोटी अवस्था में ही काम करना आरम्भ कर देते हैं। कभी-कभी उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित कर जबरन भी कार्य में लगा दिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक बाल श्रमिक भारत में ही हैं। संभवतः देश में कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसमें बाल श्रमिकों को न लगाया जाता हो। परिणाम स्वरूप बच्चे अपने स्वतंत्र एवं खुशहाल बचपन के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।

मुख्य शब्द : बालश्रम, औद्योगिकीकरण, मौलिक अधिकार, असंगठित व्यवसाय, वैश्वीकरण, बालश्रम का स्वरूप।

जगदीश प्रसाद मीना

सहायक आचार्य,

ई.ए.एफ.एम.,

आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय

प्रबंध विभाग,

राजेश पायलेट राजकीय

स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

बांदाकुई, दौसा, राजस्थान

प्रस्तावना

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार इस समय विश्व में लगभग 17 करोड़ बाल मजदूर अत्यन्त खतरनाक कामों में लगे हुए हैं और इनमें से अधिकतर विकासशील देशों के कारखानों तथा विभिन्न उद्योग-धन्धों में कार्यरत हैं। मजदूरी की इस मजबूरी के कारण ये बच्चे शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते। इन बच्चों में से अधिकांश केवल स्वयं का पेट भरने के लिए मजदूरी करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाल अध्ययन संगठन के पूर्व महानिदेशक के अनुसार बहुत से परिवार ऐसे हैं, जिनमें यदि बच्चे कमाना बन्द कर दें तो पूरे परिवार के भूखों करने की नौबत आ जाए। उस भूख से बचने के लिए कहीं-कहीं माता-पिता स्वयं ही बच्चों को बन्धक रख देते हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में लगा देते हैं। ऐसी घटनाएँ भी प्रकाश में आई हैं, जहाँ माता-पिता स्वयं बालकों के हाथ-पैर तोड़कर उन्हें अपंग कर देते हैं, ताकि अधिक भीख मिल सके। बालश्रम की समस्या बच्चों के शारीरिक, मानसिक व नैतिक विकास में अवरोध पैदा करके राष्ट्र के समन्वित विकास और कल्याणकारी स्वरूप पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। यह ज्वलंत समस्या देश के भावी नागरिकों के चरित्र निर्माण की योजना के प्रति प्रबुद्ध वर्ग की उदासीनता को अभिव्यक्त करती है। कुछ क्षेत्र में तो बड़ी संख्या में बच्चे श्रम कार्यों में संलग्न रहकर संघर्षपूर्ण और कष्टदायक जीवन जीने के लिए विवश हैं, कच्ची उम्र के बच्चे भविष्य में किस प्रकार का समाज गढ़ पायेंगे? शिक्षा से कोसों दूर इन बच्चों का उचित मानसिक और शारीरिक विकास कैसे हो पायेगा।

बाल्यकाल मानव जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सुन्दर, नवीन प्रवृत्तियों को सर्वाधिक तीव्रता से ग्रहण करने वाली अवस्था होती है। बाल्यकाल का बाल श्रम के रूप में परिवर्तन समाज एवं मानवता जगत में कलंक, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था पर एक बोझ एवं बच्चों के लिए एक अभिशाप की तरह है। बाल श्रम से न केवल अविकसित एवं विकासशील देश कलंकित हैं वरन् विकसित देश भी इस कलंक से अछूते नहीं हैं। बाल श्रम का तात्पर्य उस अवस्था से लिया जाता है जिसमें बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन तथा आराम का ख्याल रखे बिना उनसे उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक काम लिया जाता है जिससे बच्चों के शरीर एवं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रत्येक कार्य को करने का उद्देश्य अवश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य घटना मात्र है, कार्य नहीं। शोध का भी एक सुनियोजित एवं वांछित उद्देश्य अवश्य होता है। यह उद्देश्य समस्या की प्रकृति व विषय पर निर्भर करती है अर्थात् समस्या ही उद्देश्य को जन्म देती है। शोध में विशेषतः क्या, क्यों, कैसे, कब आदि के उत्तरों को खोजा जाता है। डॉ. सी.आर. कोठारी के अनुसार "शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों की सहायता से विद्यमान प्रश्नों का हल खोजना है, इसका उद्देश्य उस सच्चाई का पता लगाना है, जो छिपी हुई है तथा जिसकी खोज अभी तक नहीं की गई है।" पी.वी. यंग ने उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है "अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य चाहे व तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर अधिक नियन्त्रण प्राप्त करना है।

1. बालश्रम के अर्थ एवं अवधारणात्मक व्याख्या प्रस्तुत करना।
2. असंगठित क्षेत्र के विभिन्न सेक्टरों में बालश्रमिकों की सांख्यिकी ज्ञात करना।
3. बालश्रमिक मुख्यतः किन-किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से कार्यरत हैं।
4. बाल श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का पता लगाना।
5. बाल श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का पता लगाकर उन कारकों को ज्ञात करना जो बाल श्रम के लिए उत्तरदायी हैं।
6. बाल-श्रमिकों के नियन्त्रण के लिए निर्मित संवैधानिक तथा सरकारी नीतियों तथा उनके कार्यान्वयन को ज्ञात करना।
7. बाल श्रमिकों के प्रति अन्याय एवं शोषण का अध्ययन करना।
8. बाल श्रमिकों की मनोवैज्ञानिक सोच का अध्ययन करना।
9. बाल श्रम के स्वरूप का विश्लेषण करना।
10. गरीबी एवं बालश्रम समस्या में सहसम्बन्ध का परीक्षण करना।
11. सामाजिक-आर्थिक विषमता कहां तक बालश्रम के लिए उत्तरदायी है इसे जानने का प्रयास करना।
12. बच्चों की बुनियादी जरूरतें पूरा करने की चुनौतियां कौन-कौन सी हैं, ज्ञात करना।
13. बाल श्रम के प्रति समाज के दृष्टिकोण को ज्ञात करना। क्या समाज की सकारात्मक सोच के अभाव के कारण इस समस्या का स्थायी हल नहीं हो पा रहा है।
14. बाल श्रम समस्या के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना का निर्माण

समस्या की पहचान के पश्चात् शोध परियोजना का अगला सोपान परिकल्पना के निर्माण करने से सम्बन्धित है। परिकल्पना एक ऐसा कार्यकारी तर्क-वाक्य, पूर्व विचार, कल्पनात्मक धारणा या पूर्वानुमान होता है जिसे शोधकर्ता अनुसंधान की प्रकृति के आधार पर पहले

से निर्मित कर लेता है एवं अनुसंधान के दौरान शोधकर्ता परिकल्पना की वैधता की परीक्षा करता है। यह परिकल्पना सत्य एवं असत्य दोनों हो सकती है। यदि अनुसंधान में संकलित एवं विश्लेषित किए गए तथ्यों के आधार पर परिकल्पना प्रमाणित हो जाती है एवं इसी प्रकार की परिकल्पनाएँ अनेक बार अनेक स्थानों पर अर्थात् समग्र व काल से परे प्रमाणित होती जाती है तो वे धीरे-धीरे एक सिद्धान्त के रूप में प्रतिस्थापित हो जाती हैं। पी.वी. यंग के अनुसार "एक कार्यवाहक उपकल्पना एक कार्यवाहक केन्द्रीय विचार है जो उपयोगी अध्ययन का आधार बन जाता है। गाल्डुंग के अनुसार "उपकल्पना चरों के द्वारा कुछ इकाइयों के सम्बन्ध में उनके विशिष्ट मूल्यों से सम्बन्धित कथन हैं, एवं यह स्पष्ट करती है कि इकाइयों का सम्बन्ध कितने एवं किस प्रकार के चरों से हैं।

परिकल्पनाएँ कई प्रकार की हो सकती हैं यथा वैकल्पिक परिकल्पना, सांख्यिकीय परिकल्पना, शून्य परिकल्पना आदि। शून्य परिकल्पना में यह मानकर चलते हैं कि दो चर जिनमें सम्बन्ध ज्ञात करता है, उनमें कोई अन्तर नहीं है। इसे ही सांख्यिकीय परिकल्पना के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत वैकल्पिक परिकल्पना होती है, प्रस्तुत शोध 'राजस्थान के असंगठित व्यवसाय क्षेत्र में बालश्रम समस्या एवं निदान पर एक समग्र अध्ययन में इन्हीं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए जिन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है वे अग्रलिखित हैं।

बालश्रमिकों की समस्याएं

बालश्रम एक सामाजिक बुराई है। आर्थिक विकास के साथ प्रतियोगिता भौतिक वस्तुओं की प्रति आकर्षण में वृद्धि, मंहगाई, गरीबी या धन के लालच में आकर माता-पिता छोटे-छोटे बच्चों को अर्थापार्जन में लगा देते हैं। कई बार तो उनकी आंखों पर लालस की पट्टी इस तरह बंधी होती है कि वे बच्चों को जुआ घर, बीयर बार आदि तक में काम करने भेज देते हैं, जिससे बच्चों के कच्चे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका बचपन समाप्त हो जाता है। बाल सुलभ भावनाएं और कोमलता नहीं रह जाती है। ये समय के पूर्व ही परिपक्व होने लगते हैं। कई बार तो सारे असन्तोष उनमें विद्रोह पैदा करके उन्हें अपराधी भी बना देते हैं। बाल मजदूरी के चलते बच्चों का नैसर्गिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास बाधित होता है। परिणामतया उनकी कार्यक्षमता का ह्रास होता है। यही नहीं उनकी भावी संस्कृति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। प्रतिदिन 10 से 12 घण्टे थका देने वाला श्रम उन्हें पढ़ाई से वंचित कर देता है। जिससे उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है। बौद्धिक विकास होने के कारण सारा जीवन ये मजदूर ही बनकर रह जाते हैं। साथ ही साथ अशिक्षित होने के कारण कुपोषण और जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं में भी इजाफा ही करते हैं। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को अनेक प्रकार की बीमारियों और विकलांगता का सामना करना पड़ता है। दियासलाई तथा पटाखा उद्योगों में काम करने वाले बच्चों को श्वास की दिक्कत तथा भयानक रूप से जल जाने का खतरा होता है, जबकि पत्थर खदान, स्लेट

या कांच उद्योग में काम करने वाले बच्चे सिलकोसिस, धूल एवं ताप की वजह से दम घुट जाने के खतरे से दो-चार होते हैं। हथकरघा उद्योग में फाइब्रोसिस तथा बाइसीनोसिस तथा कालीन उद्योग में धूल एवं रेशों के कारण फेफड़ों की भयानक बीमारी, गठिया तथा जोड़ के तनाव से बच्चों के प्रभावित होने की अत्यधिक सम्भावना होती है। ताला या पीतल उद्योग में काम करने वाले बच्चों को दमा, भयंकर सिरदर्द, क्षयरोग तथा गुबारा फेक्ट्री के बाल-श्रमिकों को निमोनिया, हार्टअटेक जैसी बीमारियां लग जाती हैं।

देश में बालश्रमिकों की बढ़ती संख्या और शोषण से उत्पन्न राष्ट्रीय समस्या के प्रति चिंतित मानवतावादी सिद्धान्तों के संरक्षक राष्ट्रपति महामहिम डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितम्बर 1994 को शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देते हुए बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्ति दिलाना शिक्षा को सबसे बड़ी चुनौती बताया तथा राष्ट्र के समक्ष उत्पन्न इस व्यापक समस्या को समूल नष्ट करने के लिए समाज के प्रबुद्ध वर्ग को आहूत किया। अशिक्षा, गरीबी, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि, मालिकों द्वारा कम लागत में अधिकाधिक लाभ कमाने की मनोवृत्तियां, बच्चों के परिवार की गरीबी, उनके प्रति पारिवारिक उदासीनता आदि के कारण अनेक संवैधानिक प्रावधनों एवं समाजसेवी व स्वैच्छिक संगठनों के अथक प्रयासों के बावजूद आज बालश्रम के प्रतिबन्ध की दिशा में राष्ट्र को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। किन्तु वर्तमान समय में भी बाल श्रमिकों की समस्या सारी दुनिया में मानव जाति के लिए मुद्दा बना हुआ है। वस्तुतः यह समस्या मानव समाज में काफी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए एक कठिन परीक्षा, तकलीफों और शोषण तथा उनके स्वास्थ्य की समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है।

बाल श्रम एवं अपराधीकरण

बालश्रम और बाल अपराध में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बालक जब परिवार से उपेक्षित हो जाता है तब वह बाल श्रम करने के लिए विवश हो जाता है। जिस संगति, वातावरण एवं परिस्थितियों में रहकर वह कार्य करता है उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उसके व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। परिश्रम करते करते श्रम के अनुपात में जितनी चाहिए उतनी मजदूरी या धन नहीं मिलता है, उसका शोषण होता चला जाता है, वह दुःखी होने लगता है। सामाजिक परिवेश को देखता है कि एक बालक शान से जी रहा है, अच्छा खाता है, पीता है, रहता है, अच्छे वस्त्र पहनता है, तब उसके मन में कुंठा उत्पन्न होने लगती है। तब उसका एक मन आत्महत्या करने के बारे में सोचता है तथा उसका दूसरा मन ऐसा नहीं करने के लिए विवश करता है और यहीं से वह बालक छोटे-छोटे अपराध करने लगता है। उस छोटे-छोटे अपराध करने पर बदले में उसे धन प्राप्त होता है जिससे कुछ मात्रा में सन्तोष प्राप्त होता है, गरीब माता-पिता भी इससे प्रसन्न होते हैं जब उनसे प्रोत्साहन मिलता है, तब इस अपराध करने वाले बालक का हौंसला बुलन्द होने लगता है। अपने साथियों को बड़े-बड़े अपराध करते हुए देखता है तो वह भी अपनी मानसिकता बदलकर छोटे-छोटे अपराध करना

बन्द कर बड़े-बड़े अपराध करने लगता है, क्योंकि इसमें श्रम अधिक नहीं करना पड़ता है। कम समय में अधिक लाभ होने और घर वालों से प्रोत्साहन मिलने के कारण वह निडर होकर बड़े-बड़े अपराध करने का आदी हो जाता है।

एक ओर शहरों-महानगरों में तेजी से बदलती जीवन-शैली के बीच असंगठित समुदायों में समाज या परिवार की नजर बच्चों पर बहुत कम या नहीं होती है तो दूसरी ओर अतिशय गरीबी झेलते बच्चों के मन में जरूरी चीजों से वंचित रहने का आक्रोश बढ़ता जाता है। अपनी इच्छापूर्ति का कोई रास्ता नहीं देख वे पहले छोटे-मोटे गलत कार्यों में शामिल होते हैं, फिर किसी अपराधी गिरोह के चंगुल में आकर शांतिर अपराधी बन जाते हैं। अगर भीषण गरीबी को झेलते कुछ बच्चे उन लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं जो उनका इस्तेमाल मादक पदार्थों की बिक्री, भीख मांगने या दूसरे अपराधों के लिए करते हैं या कहीं कम उम्र की लड़कियों को देह-व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है तो धनी वर्गों के बच्चे पारिवारिक अनदेखी, खीझ या संगति की वजहों से अपराध की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोनों ही वर्गों यानी गरीब और धनी परिवारों की जिम्मेदारी ऐसे तय होती है कि गरीब अपने अपने आर्थिक हालात के चलते अपने बच्चों को बिचौलियों के हाथों सौंप देता है या जाने से नहीं रोक पाता है तो धनी वर्गों में माता-पिता को अपनी जरूरतों से इतनी फुरसत ही नहीं मिलती कि वे अपने बच्चों को कोई दिशा दे सकें। बढ़ती संवेदनहीनता, हिंसात्मक प्रवृत्तियां। और पारिवारिक विखण्डन के नतीजे में बच्चे के मन में अपराध के बीज अंकुरित होने लगते हैं, जिसे सींचते फिल्म, टी.वी. और सामाजिक परिस्थितियां इसके अलावा विस्थापन के फलस्वरूप सांस्कृतिक भिन्नता का नकारात्मक असर भी ऐसे हालात को प्रोत्साहित करता है। यानी कि एक तरह से पूरा समाज ही ऐसे बच्चों को अपराधी बनाने के लिए खड़ा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.वी.) के ताजा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 9857 बाल अपराधों से देश में सबसे ऊपर है जबकि मध्य प्रदेश 8247 मामलों के साथ दूसरे नम्बर पर है। 2012 में राजस्थान में 5169 बाल अपराध रिकॉर्ड किए गए थे। 2011 की जगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 20 करोड़ में से बच्चों की जनसंख्या करीब 871.34 लाख है। बाल अपराध के मामलों में एनसीआरबी के आंकड़े चौकाने वाले हैं देश में होने वाली कुल बाल हत्याओं में से 29 फीसदी और बलात्कार के 11 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश में होते हैं। इसी तरह 21 प्रतिशत अपहरण इस राज्य में दर्ज किए गए हैं। स्वयं सेवी संस्था चाइल्ड लाइन के निदेशक अंशु माली शर्मा ने यहां कहा कि सरकार और समाज को मिलाकर बाल अपराधों में कमी के उपाय करने होंगे।

अत्यधिक श्रम से स्वास्थ्य पर कुप्रभाव

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले बच्चे भयंकर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कारखानों में ईट की दीवारों पर जो कालिख जमी रहती है, जिनकी हवा प्रदूषित रहती है वे भट्टियां 1400 डिग्री सेल्सियस के ताप पर जलती हैं, वे जिसमें मील मालिक आर्सेनिक और पोटैशियम जैसे खतरनाक रसायनों को काम में लेते हैं,

जिसमें बच्चों के फेंफड़ों पर जोर पड़ता है। दिल्ली, तमिलनाडु, आ.प्र. महाराष्ट्र और राजस्थान के कारखानों में यह पता लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में बाल श्रमिकों की छातियां बैठी हुई हैं और हड्डियों के जाल पतले हैं जिस कारण वे दुर्बल दिखाई देते हैं शरीर में खाज-खुजली होती है। निर्धन परिवार के होने के कारण अनेक बच्चे स्कूल ही नहीं गये हैं। अतः बालश्रम के कारण बच्चों को फेंफड़ों की बीमारियां, तपेदिक, आंख की बीमारियां, अस्थमा, ब्रोफाइटिस और कमरदर्द होते हैं। कुछ आग की दुर्घटनाओं में जख्मी हो जाते हैं, कई अपंग हो जाते हैं, जिन्हें उनके मालिक निर्दयापूर्वक निकाल देते हैं। तब प्रश्न उठता है कि यह बाल श्रमिकों की गम्भीर समस्या है।

तलिका 1**खतरनाक कार्यों से होने वाली बीमारियाँ**

व्यवसाय/प्रक्रिया	पैदा होने वाली बीमारियाँ
शीशा उद्योग	दमा, तपेदिक, श्वासनली शोथ, नेत्र दोष
ईट-भट्टा	सिलिकोसिस, ऐंठन
पीतल बर्तन निर्माण	अपंगता, तपेदिक, जल, डिहाइड्रेशन, श्वास सम्बन्धी रोग
बीड़ी उद्योग	तपेदिक, श्वास सम्बन्धी रोग
हथकरघा एवं पावरलूम	दमा, टी.बी. नेत्र दोष, श्वास रोग
कचरा बीनना	चर्म रोग, स्नायु रोग, संक्रामक रोग, टिटनेस, दमा, टी.बी. ऐंठन
जरी एवं कढ़ाई	नेत्र दोष
माचिस एवं पटाखा उद्योग	दुर्घटना, जल्द मृत्यु, श्वास रोग, चर्मरोग
मिट्टी के बर्तन उद्योग	सिलिकोसिस, टी.बी., दमा
गुब्बारा उद्योग	निमोनिया, श्वास रोग
कालीन उद्योग	दमा, तपेदिक
चूड़ी उद्योग	ताप आघात चर्म रोग, दिल का दौरा दमा
कालीन उद्योग	बिसिनोसिर, दमा, टी.बी.
ताला उद्योग	टी.बी., दमा, दुर्घटना
पत्थर एवं स्लेट खनन	सिलिकोसिस
कृषि उद्योग	चर्म रोग, कीटनाशक दवाइयों एवं मशीनों का दुष्प्रभाव, स्नायु सम्बन्धी बीमारी, उत्तेजना, ऐंठन, कैंसर

स्रोत:- कुरुक्षेत्र जनवरी 1999, पृ.सं. 24

इसके अलावा यह भी देखा गया है कि यदि बाल-श्रमिकों द्वारा किया गया कार्य गैर-खतरनाक कोटि का है, तो भी वयस्कों की अपेक्षा बच्चों का अधिक किया जाता है। घरेलू नौकरों, छोटे-छोटे होटलों या ढाबों आदि में काम करने वाले बच्चों को नियोजकों द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाता है और उनसे इतने गन्दे कार्य कराए जाते हैं कि उनका कोमल हाथों की उंगलियों पर बुरा असर पड़ता है। इतना ही नहीं, इन नादान बच्चों को

असामाजिक तत्व भी तरह-तरह से प्रताड़ित करते हैं और खासकर उनका यौन शोषण करके उन बाल-श्रमिकों को बीमारियां दे देते हैं। इसके अलावा शोर करने वाली मशीनों पर काम करने वाले बच्चे प्रायः बहरे हो जाते हैं और धूल की वजह से उन्हें नजला हो जाता है। मिट्टी-बर्तन बनाने में सिलिका का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान देय है।

शारीरिक उत्पीड़न

मालिक बाल श्रमिकों का अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। उनको बात-बात पर डांटते-मारते हैं। सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं। उनका वेतन तो बालक होने के कारण कम निर्धारित किया जाता है। मगर उनसे इसकी तुलना में काम बहुत अधिक लिया जाता है। यही नहीं छोटी-छोटी बातों का बहाना करके वेतन भी काटा जाता है। बाल श्रमिकों से जरूरत से ज्यादा काम लिया जाता है। घर से भागे हुए अथवा अनाथ बच्चे जो कमजोर होने के कारण अधिक काम नहीं कर पाते हैं। उन्हें शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, भूखा रखा जाता है, बीमारी की हालत में भी उन्हें काम करना पड़ता है, तथा मजदूरी मालिक की मर्जी पर निर्भर होती है। इस प्रकार से बाल श्रमिकों का शोषण और शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है। कुछ बच्चों को भ्रष्ट व्यक्तियों के द्वारा उनके अभिभावकों से बहला-फुसलाकर ले जाया जाता है जिन्हें गुमनाम जगह काम पर लगाया जाता है और उन्हें घर भी नहीं जाने दिया जाता है।

भटके हुए बच्चों को वयस्क पहले खाने-रहने की जगह और पैसे देकर नशे की लत लगवाते हैं और फिर शुरू होता है यौन-शोषण का दारुण चक्र। सम्पन्न वर्गों में पुरुष या स्त्री खाने-पीने की चीजें देकर, सिनेमा दिखाकर, गाड़ियों पर सैर कराकर पहले बच्चों को बहलाते-फुसलाते हैं, फिर प्यार करने के बहाने यौन सम्बन्ध स्थापित करते हैं। एक बार शोषण के इस जंजाल में उलझने के बाद इससे बाहर निकल पाना कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। यह त्रासदी बाद में कइयों का पेशा बन जाती है। यही यौन-प्रताड़ित बच्चे आगे चलकर अपने से छोटे बच्चों का इसी तरह शोषण करते हैं।

तालिका संख्या 2**बच्चों के साथ हुई रेप की घटनाएँ**

मध्य प्रदेश	—	9465
महाराष्ट्र	—	6868
उत्तर प्रदेश	—	5949
आन्ध्र प्रदेश	—	3977
छत्तीसगढ़	—	3688
दिल्ली	—	2909
राजस्थान	—	2776
हरियाणा	—	1081
कर्नाटक	—	719
बिहार	—	519
झारखण्ड	—	218

स्रोत:- नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2012 के आंकड़े।

वातावरण का कुप्रभाव

अक्सर वयस्क श्रमिकों की कुसंगत से बालक बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। जैसे सिगरेट, बीड़ी पीना, शराब पीना, जुआ खेलना, अश्लील बातें और मजाक करना। ये सारी बातें उनके लिए अति सामान्य हो जाती हैं। बुरी संगत का प्रभाव तो बड़ों तक पर पड़ता है। फिर बच्चों पर तो स्वाभाविक है। आज किशोर, किशोरियों पर नशाखोरी की आदत तेजी से विकसित हो रही है। मादक द्रव्य व्यसन का ग्राफ बढ़ रहा है और एक संक्रामक रोग की तरह फैल रहा है। मादक द्रव्यों के दुर्व्यसन से समाज और व्यक्ति विशेष को भयंकर क्षति हो रही है। इनके अत्यधिक प्रयोग से व्यक्ति का शारीरिक, संरचनात्मक, सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक जीवन विनाश की ओर जा रहा है। शरीर के अन्दर जो रासायनिक जीवन विनाश की ओर जा रहा है। शरीर के अन्दर जो रासायनिक तत्व उपस्थित होते हैं, मादक-द्रव्यों के पहुँचने से उनके मध्य प्रतिक्रिया होती है, इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप या तो उपयोगी परिणाम सामने आते हैं या फिर कष्टदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। कुसंगति की वजहों से अपराध की तरफ कदम बढ़ाते हैं। दोनों ही वर्गों यानी गरीब और धनी परिवारों की जिम्मेदारी ऐसे तय होती है कि गरीब अपने आर्थिक हालात के चलते अपने बच्चों को विचौलियों के हाथों सौंप देता है या जाने से नहीं रोक पाता है तो धनी वर्गों में माता-पिता को अपनी जरूरतों से इतनी फुरसत ही नहीं मिलती कि वे अपने बच्चों को कोई दिशा दे सकें। बढ़ती संवेदनहीनता, हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ और पारिवारिक विखण्डन के नतीजे में बच्चे के मन में अपराध के बीज अंकुरित होने लगते हैं, जिसे सींचते हैं फिल्म, टीवी और सामाजिक परिस्थितियाँ। इसके अलावा विस्थापन के फलस्वरूप सांस्कृतिक भिन्नता का नकारात्मक असर भी ऐसे हालात को प्रोत्साहित करता है। यानी कि एक तरह से पूरा समाज ही ऐसे बच्चों को अपराधी बनाने के लिए तैयार खड़ा है।

भटके हुए बच्चों को वयस्क पहले खाने रहने की जगह और पैसे देकर नशे की लत लगवाते हैं और फिर शुरू होता है यौन-शोषण का दारुण चक्र। सम्पन्न वर्गों में पुरुष या स्त्री खाने-पीने की चीजें देकर, सिनेमा दिखाकर, गाड़ियों पर सैर कराकर पहले बच्चों को बहलाते फुसलाते हैं, फिर प्यार करने के बहाने यौन सम्बन्ध स्थापित करते हैं। एक बार शोषण के इस जाल में उलझने के बाद इससे बाहर निकल पाना कई बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। यह त्रासदी बाद में कइयों का पेशा बन जाती है। यहीं यौन प्रताड़ित बच्चे आगे चलकर अपने से छोटे बच्चों का इसी तरह शोषण करते हैं।

मालिक द्वारा शोषण

बाल मजदूरों को सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है। सामान्यतया मालिकों द्वारा इन बाल मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, कहीं-कहीं मालिकों द्वारा डांट-फटकार, गालियाँ यहाँ तक की पिटाई भी कर दी जाती है, इन अमानवीय परिस्थितियों में भी बाल मजदूर मानसिक और शारीरिक शोषण के बाद भी पूरी ईमानदारी से काम करते रहते हैं, ऐसे में उनकी आत्मा मृतप्राय सी हो जाती है। बालपन की

चंचलता और मस्ती लुप्त हो जाती है, कुण्ठा व तनावों के कारण अनेक बाल मजदूर मानसिक रूप से विकृष्ट भी हो जाते हैं।

मालिक बाल श्रमिकों का अनेक प्रकार से शोषण करते हैं। उनको बात-बात पर डांटते-मारते हैं सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हैं। उनका वेतन तो बालक होने के कारण कम निर्धारित किया जाता है। मगर उनसे इसकी तुलना में काम बहुत अधिक लिया जाता है। यही नहीं छोटी-छोटी बातों का बहाना करके वेतन भी काटा जाता है।

घरेलू नौकर

नगर तथा महानगरों में उच्च पद पर आसीन, मध्यम वर्गीय परिवारों में 10-14 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को काम पर रखना अधिक पसन्द करते हैं जो सुबह से रात तक अपनी सेवायें दे सकें तथा उन्हें कम वेतन देना पड़े, उनका शारीरिक शोषण अत्यधिक किया जाता है। यह श्रमिक उन ही परिवारों पर निर्भर रहते हैं। जहाँ यह कार्य करते हैं। बच्चे होने के कारण तथा जरूरत के कारण दुर्व्यवहार कम वेतन अधिक कार्य के लिए बाध्य व मजबूर होते हैं, क्योंकि इनकी कमाई से यह अपने परिजनों को भरण पोषण करते हैं। अतः स्वाभाविक है कि ऐसे बच्चे शिक्षा स्वास्थ्य व सभी सुविधाओं से वांछित रहते हैं।

शिक्षा से वंचित

छोटी आयु में नौकरी करने से बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वे अपना जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कोई दूसरा काम करने के बारे में तो सोच भी नहीं पाते हैं कानून द्वारा बच्चों को अनेक अधिकार भी दिए गए हैं मगर अशिक्षित होने के कारण न तो बाल्यावस्था में उपयोग कर पाते हैं न ही बड़े होने पर नागरिक के रूप में अपने मूल अधिकारों या कानूनी अधिकारों को जान पाते हैं तब उनका उपयोग करना तो संभव ही नहीं है।

बाल श्रम समस्या के निदान के उपाय (सुझाव)

बौद्धिक एवं सांस्कृतिक सम्पन्नता के बावजूद देश 15 करोड़ बाल श्रमिकों की समस्या का निदान ढूँढने में असमर्थ है। वे बंधुआ मजदूर की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चे किसी भी समाज की अनमोल संपदा है। यह समाज का कर्तव्य है कि सभी स्तरों पर उनके विकास में मदद करें ताकि वे समाज के निर्माण में सकारात्मक भूमिका अदा कर सकें। इसके अन्तर्गत शिक्षा, पोषण, मनोरंजन, सामाजिकता सहित स्नेह तथा देखभाल आते हैं। देश के करोड़ों बच्चे इन मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। अधिकांश बच्चे 6-7 वर्ष की अवस्था से काम प्रारम्भ कर देते हैं। वे अपने परिवार के साथ खेतों में काम करते हैं अथवा कारखानों में। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके कार्यों से विकास में सकारात्मक सहयोग मिल सकता है तथा भविष्य के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है। बच्चे स्वयं का काम करके गौरव और उत्तरदायित्व का बोध महसूस करते हैं। चाहे फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, शिवकाशी का पाटाखा उद्योग, जयपुर का आभूषण उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, खुर्जा का बर्तन उद्योग हो अथवा घर में भाई-बहनों की देखभाल, प्रत्येक माता-पिता

अपने बच्चों को पुश्तैनी शिल्प में दक्ष बनना चाहते हैं ताकि वे वयस्क होने से पूर्व सक्षम हो सकें।

हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। बालश्रम की समस्या की इस सिद्धान्त का अपवाद नहीं है। वर्तमान में जरूरत है नियमों एवं अधिनियमों का सक्षमतापूर्वक पालन करने की। उन नीतियों का जो भले ही विशेष रूप से बच्चों के लिये नहीं हों, परंतु जो निर्धनता और असमानता का उपशमन करती हैं, निर्णायक प्रभाव पड़ सकता है। इन नीतियों में कृषि सम्बंधी सुधार, रोजगार उत्पन्न करने वाली परियोजनायें, निर्धनों में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रसार, सहकारी समितियों का गठन और सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम सम्मिलित हो सकते हैं। कानून और नियमों की अनुपालना में प्रभावी प्रवर्तन मशीनरी को सहायता करनी चाहिये। इसके लिये आवश्यक है कि श्रम निरीक्षण और इससे संबंधित सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाये। कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने का एक ही तरीका है कि इसके उल्लंघन की सजा को और अधिक कठोर बनाया जाये, इसमें आकस्मिक परीक्षण का प्रावधान सम्मिलित किया जाये और एक अलग से निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाये। आयु सत्यापन को सुविधाजनक बनाने के लिए राजकीय अधिकारी वर्ग को जन्म पंजीकरण की एक प्रभावी प्रणाली को जारी करना चाहिये। सब मालिकों के लिये यह आदेशात्मक कर देना चाहिये कि वे ऐसे रजिस्टर और कागजात तैयार करें, जिनमें सभी नौकर बच्चों के नाम और आय हो।

बालश्रम की समस्या के गहन अध्ययन, विश्लेषण और इसे समझने के गंभीर प्रयासों के फलस्वरूप कुछ व्यावहारिक हल ढूँढ़े जा सके हैं। ये सभी प्रस्तावित हल एक ही समय इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये सभी कारगर हैं। ये निम्नलिखित हैं।

आवासीय शिविर

9 से 14 वर्ष के बाल श्रमिकों के लिये आवासीय शिविर बहुत जरूरी है। इनसे शिक्षा जल्दी प्राप्त करने में मदद मिलती है। बाल श्रमिकों में से अधिकतर को कोई स्कूली शिक्षा नहीं मिली होती। इन शिविरों में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर डाला जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, खेलकूद व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल हैं इन सभी पर निगरानी रखनी चाहिये और समय-समय पर आकलन किया जाना चाहिये।

आंगनवाड़ी और क्रेच सुविधाएं

कई इलाकों में आंगनवाड़ी और क्रेच सुविधाएं होनी जरूरी हैं। इन सुविधाओं को स्कूल के आस-पास होना चाहिये। इनका समय भी स्कूलों के अनुसार ही होना चाहिये, तभी उनका लाभ उठाया जा सकेगा।

संक्षिप्त पाठ्यक्रम

संक्षिप्त पाठ्यक्रम के तहत 6 से 9 वर्ष के बच्चों को उनके गांव में शिक्षा दी जाती है। हर 20 बच्चों के लिये एक कार्यकर्ता होना चाहिये, उन्हें शिक्षा दे। उसे कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

आवश्यक बुनियादी ढांचा

आवासीय शिविरों, आंगनवाड़ी तथा क्रेच सुविधाओं और संक्षिप्त पाठ्यक्रम केन्द्र सभी के लिये स्थान उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। इनके लिये दिए भवन उपलब्ध हों तो इन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाया जा सकेगा। कई सरकारी इमारतें खाली पड़ी होती हैं या उनमें कुछ कमरे खाली होते हैं। इनकी साफ-सफाई करके इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण

शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा देना भी बड़ा व्यावहारिक उपाय है। इससे बच्चे न केवल कोई गुण सीखकर बाद में उसे अपनी जीविका का साधन बना सकेंगे बल्कि प्रशिक्षण के दौरान तैयार सामान को बेचकर भी कुछ आय प्राप्त की जा सकेगी।

विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग

बाल मजदूरी जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर काम करना होगा। आवासीय शिविर, आंगनवाड़ी और क्रेच की सुविधायें जुटाने के लिये सभी को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। इससे बच्चों को जीविका जुटाने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। आवास, शिक्षा, वन और ग्रामीण विकास के विभाग मिल-जुलकर काम कर सकते हैं। इस समस्या से स्वयंसेवी संस्थायें अकेले नहीं जूझ सकती, लेकिन अगर सरकारी विभागों का सहयोग मिल जाये तो इस समस्या से निबटा जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिये सरकारी तंत्र का सहयोग बहुत जरूरी है।

लोगों की भागीदारी

बच्चों की सभी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिये। उन्हें इस कार्य को अपने बलबूते पर संभालने के लिए तैयार होना चाहिये। स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य और युवा समूहों के सदस्य इस कार्य में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रोत्साहन

किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को बच्चों में दिलचस्पी होनी चाहिये। बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। उनकी तारीफ करके या पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।

सभी संसाधनों का कन्वरजेंस एवं टैपिंग

बाल मजदूरी की बुराई को दूर करने के लिए सरकार विभिन्न विभागों को मिलकर काम करना होगा आवासीय कैम्पों, आंगनवाड़ियों और क्रेचों को बनाने में संयुक्त प्रयत्न आवश्यक है जिसके लिए धन की वैकल्पिक प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

जन प्रतिनिधियों की भूमिका

बाल मजदूरी की समस्या को दूर करना असम्भव कार्य नहीं है। इस कार्य को करने की शक्ति और अधिकार जिन्हें सौंपे गए हैं, उनके द्वारा सही दिशा में उपयुक्त कार्रवाई करनी अपेक्षित है राजनीतिक नेताओं के लिए बाल मजदूरी की समस्या को बढ़ा-चढ़ा कर कहना नई बात नहीं है, यह जानते हुए कि इसका सम्बन्ध गरीबी से है, जिसे पहले दूर किए जाने की आवश्यकता है।

पारिवारिक सदस्यों पर छूट

पारिवारिक व्यवसायों, प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले बाल श्रमिकों पर किसी भी कानून का ध्यान नहीं गया है। जांच होने पर पारिवारिक कर्तव्य को बहाना सुना दिया जाता है, चाहे खतरनाक उद्योग ही क्यों न हो।

केवल संगठित क्षेत्र का ही नियमन

वास्तव में बाल श्रम निरोधक विभिन्न कानून केवल संगठित क्षेत्र को ही नियमित करने का प्रयास करते हैं। संगठित क्षेत्रों में भी केवल खतरनाक समझे जाने वाले उद्योगों, प्रक्रियाओं पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता है। खतरनाक शब्द की व्याख्या करने में भी कोई निश्चित नीति नहीं है। असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि, लघु-कुटीर उद्योगों पर भी इन अधिनियमों का ध्यान नहीं गया है जबकि वास्तविकता में इन्हीं क्षेत्रों में ही बाल श्रम बहुतायत में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार खेतों एवं चाय की दुकानों पर भारत का लगभग 80 प्रतिशत बाल श्रम कार्य करता है।

महिला शिक्षण

जहाँ एक ग्रामीण क्षेत्रों में बाल शिक्षा का प्रश्न है, माताओं के प्रशिक्षण को मुख्य स्थान दिया जाना चाहिए। माताओं को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए प्रचार तन्त्र के सभी साधनों—दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र-पत्रिकाएँ, भित्ति चित्र, बाल मेले, कठपुतली प्रदर्शन आदि परम्परागत व आधुनिक साधनों का उपयोग व्यावहारिक आधार पर किया जाना चाहिए। साक्षरता, उत्तर साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा आदि को व्यापक समाज और उन्नत परिवार की शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकारना चाहिए। एक लड़के की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा है, जबकि एक लड़की की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि स्त्री परिवार की धुरी है। उसके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य व शैक्षणिक विकास पर ही सन्तान का भविष्य निर्भर करता है और इस भावी पीढ़ी पर ही भावी समाज व राष्ट्र का स्वरूप निर्भर करता है।

सुरक्षा रजिस्टर

ब्रिटेन की तरह भारत में भी समाज कल्याण विभाग की देखरेख में एक 'बच्चों का सुरक्षा रजिस्टर' होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सम्बन्धित विभाग यह नहीं कह पायेगा कि उनके विभाग को किसी ने सूचना नहीं दी। गौरतलब है कि इस तरह के रजिस्टर में उन बच्चों के नाम पहले से दर्ज रहते हैं जो शोषण के हालात में पल रहे हैं। भविष्य में बच्चों को शोषण से बचाने में इस रजिस्टर की बहुत अहम भूमिका है। इसके अलावा मुश्किल हालात से निपटने में मदद के लिए बच्चों के मामलों की खास जानकारी रखने वाले अधिवक्ताओं का एक समूह भी होना चाहिए।

प्रेरक व्यक्तियों का चयन

बच्चों के प्रेरक व्यक्तित्व समाज के अन्दर से चुने जाने चाहिए जो समाज में यह जागरूकता फैलाएँ कि बच्चों की रक्षा कैसे हो सकती है। बच्चों को जिस लापरवाही से पाला जाता है, उनको बहुत कम अहमियत दी जाती है, इस पर रोक लगाने के उपाय सुझाना आवश्यक है।

गरीबी एवं बेरोजगारी को मिटाना

गुरुपद स्वामी की रिपोर्ट ने बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी को माना है। इस हेतु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाली सभी जातियों के परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को निर्वाह योग्य रोजगार उपलब्ध कराया जावे ताकि परिवार का मुखिया अपने बच्चों को रोजी-रोटी कमाने न भेजकर विद्यालय में शिक्षा हेतु भेजे।

रोजगारोन्मुख शिक्षा का विस्तार

व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बाल मजदूरी प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना कठिन कार्य है, किन्तु बाल मजदूरों की कार्य दशाओं तथा सामाजिक वातावरण को सुधारा आवश्यक जा सकता है। 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करा दी जानी चाहिए जिससे वे अपने आपको शोषण से बचाने में समर्थ हो सकें, बाल श्रमिक के अनपढ़ माता-पिता की भी प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है यदि शिक्षा के साथ साथ निर्धन परिवार के बच्चों की कुछ कमाई भी हो जाए, तो बच्चे के माता-पिता उनकी मजदूरी पर भेजने के लिए विवश नहीं करेंगे इसके लिए स्कूल में रोजगारोन्मुख शिक्षा देते हुए कार्य लिया जा सकता है इससे बाल मजदूर विकास के अच्छे अवसर पाकर परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं और तब बच्चों को अपना बचपन गिरवी रखकर कमाऊ मजदूर बनने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा।

जनसंख्या नियन्त्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम

बालश्रम का एक कारण परिवार का बड़ा आकार माना जाता है। मुस्लिम समाज में 11-12 व्यक्तियों का आम परिवार होता है। परिवार का मुखिया बेरोजगार हो या अपाहिज हो या मृत्यु हो जाये तो परिवार के बच्चे काम पर जाते हैं। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो जीवनयापन आसान होगा तथा बच्चे पर कमाने का भार नहीं आयेगा। अतः सभी जाति, धर्मों के व्यक्तियों के परिवार सीमित रखने की भावना का विकास करने हेतु अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार व जागृति कार्यक्रम संचालित किये जाये तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।

अकाल राहत कार्यक्रम

राजस्थान में अधिकतर अकाल पड़ता रहता है। इससे गरीबी बढ़ती है। कृषि व्यवसाय में लगे परिवार रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं और कई परिवार तो बच्चों एवं जानवरों सहित दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं जिससे बच्चों की शिक्षा बाधित होती है और बालश्रमिक बन जाते हैं। ऐसे में सरकार को वर्ष पर्यन्त रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम अकाल राहत के साथ संचालित करना चाहिए।

बाल श्रम कल्याण कार्यक्रमों का संचालन

गरीबी उन्मूलन एवं बालश्रम को पूर्णतया समाप्त होने के समयान्तराल में बाल श्रम उपस्थित रहेगा। अतः बाल श्रम कल्याण के कार्यक्रम संचालित कर इनकी कार्यदशाओं को सुधारा जा सकता है। ये कल्याणकारी कार्यक्रम निम्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों के लिए चल चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा

की सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिये। एवं पुनर्वास विद्यालयों के माध्यम से बाल-श्रमिकों को निर्वाह राशि पोषक आहार एवं शिक्षा दी जावे। यह सभी बाल श्रमिकों के लिए ही हों। राज्य खेल कूद परिषद के माध्यम से काम काजी बच्चों के लिए उद्यान एवं खेलकूद परिसरों का निर्माण किया जावे।

स्वयं सेवी संगठनों की प्रभावी भूमिका

स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से बाल श्रम समस्या को कम किया जा सकता है। इस हेतु ये संगठन निम्न कदम उठा सकते हैं—

1. बाल-श्रमिकों के पुनर्वास हेतु अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों तथा पुनर्वास विद्यालयों का ये संगठन कदम उठा सकते हैं।
2. समाज में बाल श्रम के प्रति जागृति पैदा करने हेतु रैली, व्याख्यान माला, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जावे।
3. बाल अधिकारों के बारे में परिवारों एवं बच्चों को जानकारी दी जावे।
4. बालश्रम के प्रतिषेध हेतु विधायी कानूनों का प्रचार-प्रसार करना चाहिये।
5. शोध प्रबन्ध में उल्लेखित विविध व्यवसायों श्रेणी के बाल-श्रमिकों यथा पुनर्वास की योजना हाथ में लेनी चाहिये।

बाल श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार

बालश्रम को समाप्त करना कठिन है ऐसी स्थिति में नियोजित बाल-श्रमिकों की कार्यदशाओं में सुधार करना चाहिये। शोध प्रबन्ध राजस्थान के असंगठित व्यवसाय क्षेत्र में कार्यरत बाल-श्रमिकों की कार्य दशाएं सन्तोषजनक नहीं है। इस हेतु निम्न कदम उठाये जाने चाहिये—

1. बाल श्रमिकों से प्रतिदिन 6 घण्टे तक जिसमें 3 घण्टे पश्चात् एक घण्टे का विश्राम हो कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. श्रम निरीक्षकों द्वारा देखा जाना चाहिए कि होटल, ढाबा साफ-सुथरे हैं या असंगठित क्षेत्र में बालकों से रात में काम नहीं लिया जाता है।
3. कार्य के दौरान 3 घण्टे पश्चात् बाल-श्रमिकों को 1 घण्टे पूर्ण विश्राम दिया जाना चाहिये विश्राम का अर्थ है बालक कार्य स्थल पर नहीं रहेगा अन्यत्र विश्राम दिया जाना चाहिये।
4. उद्योगों जैसे-गलीचा निर्माण, नगीना कटाई, पॉलिस आदि में कार्यस्थल पर पीने के पानी, शौचालय एवं मूत्रालय, गर्मी, सर्दी से बचाव की व्यवस्था, जलपान गृह की व्यवस्था आदि सुविधाएं होनी चाहिए।
5. घरेलू सेवाओं में नियोजित बाल-श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में कराया जाना चाहिए। यह कार्य नियोजक करें। इन्हें उचित मजदूरी एवं कल्याणकारी सुविधाएं मिलनी चाहिये।
6. बाल-श्रमिकों के लिए पुनर्वास विद्यालय खोले जायें। कृषि एवं घरेलू सेवाओं में बालिकाएं भी नियोजित हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाये।
7. बच्चों की सभी परियोजनाओं में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाना चाहिये। उन्हें इस कार्य को अपने बलबूते पर संभालने के लिए तैयार होना

चाहिए। स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य और युवा समूहों के सदस्य इस कार्य में बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

8. किसी भी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी है। बच्चों के साथ काम करने वाले लोगों को बच्चों में दिलचस्पी होनी चाहिये। बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उनकी तारीफ करके या पुरस्कार देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

समाज एवं हमारे द्वारा कुछ बच्चों को शिक्षित किया जा सके तो हम अपनी हम की भावना का सही अर्थ में विस्तार कर सकेंगे उन्हें अपना साझा भविष्य बना सकेंगे। तभी समाज का और राष्ट्र का मंगल होगा। क्योंकि मानव सह अस्तित्व के दर्शन को हम समूह और विभिन्न पीढ़ियों के बीच लागू करने के लिए आवश्यक है कि मानव के विकास और बेहतरी के लिए सिद्धान्तों और योजनाओं के केन्द्र में बच्चों को रखा जाये। बच्चे की बेहतरी के लिए कार्य करना तो मानव के नैतिक इतिहास का महत्वपूर्ण अंग रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ प्रयास दलित, शोषित या प्रताड़ितों के पुनर्वास का ही नहीं करना है बल्कि हमें प्रयास करना है कि हर उस बच्चे के लिए जिसका जन्म बहुत उम्मीदों आकांक्षाओं और दायित्व के लिए हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. हरिदास सामसी शेण्डे-बाल श्रम अपराध एवं समाधान साहित्यगार प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर (2007), पृ.सं. 40, 212
2. सुभाष शर्मा - भारत में बाल मजदूर प्रकाशन संस्थान दरियागंज नई दिल्ली (2006) पृ.सं. 157, 158
3. सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल दिसम्बर-2014, पृ.सं. 133, 134
4. राजस्थान पत्रिका 18.06.14 - "बच्चों के साथ हुई रेप की घटनाएं"
5. दैनिक नवज्योति 10.07.2014 'नैशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो (एनसीआरबी)
6. राजस्थान पत्रिका 23 सितम्बर 2011- 'नहीं अंगुलियों की बेबसी'
7. सामान्य ज्ञान दर्पण फरवरी 2008 'बाल मजदूरी : दशा एवं दिशा', प.सं 937
8. कुरुक्षेत्र जनवरी 1999 पृ.सं. 24
9. डॉ. श्रीनाथ शर्मा - 'बालश्रम अमन प्रकाशन सागर' म.प्र. (2007) पृ.सं 54, 55
10. नीरा बुर्रा, बॉन टू वर्क (1997), पृ.सं. 173
11. सुबुद्धि गोस्वामी - 'महिला एवं बाल विकास पोइन्टर पब्लिशर्स', जयपुर।
12. प्रकाश नारायण नाटाणी - मानवाधिकार और कर्तव्य आविष्कार प्रकाशन, जयपुर (2007), पृ.सं 98, 99
13. मुजल जोशी - बाल श्रम चुनौतियाँ और निराकरण बुक एनक्लेव, जयपुर (2007) पृ.सं. 34

Remarking An Analisation

14. रविप्रकाश यादव, रागिनी दीप, पूजाराय, बाल श्रम समस्या एवं समाधान आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर (2008) मेरठ (यू.पी.) 212, 214
15. डॉ. मंजुलता – भारत में बाल श्रम समस्याएँ एवं समाधान राहुल पब्लिशिंग हाउस मेरठ (यू.पी.) (2013) पृ.सं. 100
16. डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव – बाल श्रम उन्मूलन की चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशाएँ महेन्द्र बुक कम्पनी गुडगांव हरियाणा (2013) पृ.सं. 109
17. श्री रात्मज मिश्र – निबन्ध मंजूशा बाल श्रम समस्या एवं समाधान टाटा मेकग्राल हील पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली 2008, पृ.सं. 17
18. प्रमिला एच. भार्गव–बाल मजदूरी उन्मूलन रावत पब्लिकेशन जयपुर पृ.सं. 149, 150
19. डॉ. ऊषा सिंह, एच.पी. सिंह– सामाजिक परिवर्तन के विविध आयाम अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 2007, पृ.सं. 68
20. चेतन मेनारिया–बाल अपराध अधिकार और कानून अंकुर प्रकाशन उदयपुर (2009) पृ.सं. 8, 9